बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 01/भू0अ0नि0(3)विविध(वि0सर्वे0अमीन)आरोप–19/2021 4710 पटना, दिनांक :– 23/12/2022

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक 237–।। दिनांक 14.07.2021 के द्वारा श्री रंजन कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03695) के विरूद्ध फर्जी कोविड–19 का जांच प्रतिवेदन देने के विरूद्ध मांगी गयी स्पष्टीकरण में शिविर प्रभारी एवं कानूनगो के उपर अवैध राशि की मांग करने से संबंधित भ्रामक सूचना देने का आरोप लगाते हुए सेवा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है।

प्रतिवेदित आरोप एवं की गयी अनुशंसा के आलोक में निदेशालय के पत्रांक 2655 दिनांक 06.09.2021 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अंदर समर्पित करने का निदेश दिया गया। आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण में अंकित तथ्यों के आलोक में बंदोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज से निदेशालय के पत्रांक 3013 दिनांक 08.10.2021 द्वारा मंतव्य की मांग की गयी। बंदोबस्त पदाधिकारी का मंतव्य अप्राप्त है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से मंतव्य अप्राप्त रहने के कारण उक्त जिले के लिए नामित सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी–सह–नोडल पदाधिकारी, निदेशालय मुख्यालय से मंतव्य गठित करने हेतु संचिका पृष्ठांकित की गयी है। नोडल पदाधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया है कि उनके स्तर से उक्त जिले के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, मुख्यालय से जानकारी प्राप्त की गयी है, जिसमें उन्हें बताया गया कि इनके कार्य पद्धति एवं व्यवहार के कारण इनके सेवा अवधि के विस्तार का अनुशंसा नहीं की गयी है, जिस कारण पिछले लगभग एक वर्ष से अपने कार्य स्थल से अनुपस्थित हैं।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रेषित अनुशंसा तथा आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत पाया गया कि इनके द्वारा इनपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार किया गया है तथा उनके द्वारा की गयी गलती के लिए माफी की मांग की गयी है। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा लगाए गए आरोप को इन्होंने अपने स्पष्टीकरण में स्वीकार किया है, जो इनपर लगे आरोप को सम्पुष्ट करता है। इनके कार्य पद्धति एवं व्यवहार के कारण इनकी सेवा अवधि विस्तारित की अनुशंसा भी नहीं की गयी है तथा ये लगभग एक वर्ष से अधिक अवधि से अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित हैं। ऐसे कर्मी को सेवा में बनाए रखना अन्य कर्मियों पर पड़ने वाले कुप्रभाव के दृष्टिगत उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)"** में वर्णित प्रावधान के तहत श्री रंजन कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03695) का संविदा अनुबंद्ध समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
23/12/22

ज्ञापांक :– 01 / भू0अ0नि0(3)विविध(वि0सर्वे0अमीन)आरोप–19 / 2021 4710 **पटना,दिनांक** :– 23/12/2022

प्रतिलिपि :– श्री रंजन कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03695) को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवंपरिमाप

ज्ञापांक :– 01 / भू0अ0नि0(3)विविध(वि0सर्वे0अमीन)आरोप–19 / 2021 4710 **पटना,दिनांक** :– 23/12/2022

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवंपरिमाप

ज्ञापांक :– 01 / भू0अ0नि0(3)विविध(वि0सर्वे0अमीन)आरोप–19 / 2021 4710 **पटना,दिनांक** :– 23/12/2022

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरीता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवंपरिमाप